भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 286*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

नीम-लेपित यूरिया

286* डॉ. संजय जायसवाल:
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र के उपयोग में लिए उपलब्ध यूरिया पर नीम-लेपन को अनिवार्य कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और इससे किसानों को क्या-क्या लाभ होने की संभावना है;
(ग) क्या नीम-लेपित यूरिया से औद्योगिक और अन्य गैर-कृषि उपयोगों के लिए यूरिया का अवैध विपथन प्रभावी ढंग से नियंत्रित हुआ है और यदि हां, तो इस संबंध में उपलब्ध आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और उनके संबंध में किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार और वर्ष-वार नीम-लेपित यूरिया का कितनी मात्रा में उत्पादन, आपूर्ति और विपणन किया गया है;
(ड.) क्या सरकार का विचार किसानों को नीम-लेपित यूरिया की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने का है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'नीम-लेपित यूरिया' के संबंध में डॉ. संजय जायसवाल और श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.286* के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) से (च): यूरिया के सभी घरेलू उत्पादकों और आयातकों के लिए वर्ष 2015 के बाद से 100% नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) की आपूर्ति करना अनिवार्य है। नीम लेपन (कोटिंग) के प्राथमिक लाभों में से एक इसके धीमी गति से अवशोषित होने के कारण, एनसीयू की खपत सामान्य यूरिया की तुलना में कम हो जाती है, फसल की ग्राह्यता में सुधार होता है और पर्यावरणीय नुकसान कम होता है। अनुसंधान के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि एनसीयू के उपयोग के कारण औसत उपज में 8.25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके अलावा, एनसीयू के अनुप्रयोग से नाइट्रोजन की हानि लगभग 10% -15% तक कम हुई है।

नीम-लेपित यूरिया (एनसीयू) एक प्रभावी नाइट्रीकरण अवरोधक (Nitrification Inhibitor) के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य दानेदार यूरिया की तुलना में मृदा में NH_4^+-N की मात्रा अधिक तथा NO_2^--N की मात्रा कम बनी रहती है। हालांकि, इसका प्रभाव मृदा के प्रकार, फसल तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है। विभिन्न अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि नीम-लेपित यूरिया मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाता है, NO_3^- के निक्षालन (Leaching) को कम करता है तथा NH_3 के वाष्पीकरण (Volatilization) से होने वाली नाइट्रोजन की हानि को न्यूनतम करता है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं पर किए गए अनुसंधानों से निरंतर यह भी पाया गया है कि नीम-लेपित यूरिया के उपयोग से नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (Nitrogen Recovery) में वृद्धि होती है, कम मात्रा में नाइट्रोजन के प्रयोग पर भी अधिक उपज प्राप्त होती है तथा नाइट्रोजन की हानि में उल्लेखनीय कमी आती है।

भारत सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से, कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरकों तथा विपथन के मामलों में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित समीक्षा करती है। देशभर में अप्रैल 2026 से अब तक 1,69,031 छापे मारे गए हैं, दोषियों के विरुद्ध 9,127 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 2,868 लाइसेंस निलंबित/ निरस्त किए गए हैं तथा 270 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) दर्ज की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विपथन के मामलों में 414 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 113 लाइसेंस निलंबित/निरस्त किए गए हैं तथा 46 प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIRs) दर्ज की गई हैं। यह मंत्रालय दोषियों के विरुद्ध कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से संपर्क रहता है।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित नीम लेपित यूरिया की राज्य-वार और वर्ष-वार मात्रा निम्नानुसार है:

पिछले तीन वर्षों के दौरान नीम लेपित यूरिया का उत्पादन			
			आँकड़े एलएमटी में
राज्य का नाम	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	13.1	2.2	0.0
कर्नाटक	4.3	4.4	4.4
तेलंगाना	11.1	12.0	8.6
तमिलनाडु	9.6	12.5	12.1
गोवा	3.5	4.2	4.0
मध्य प्रदेश	21.7	21.4	19.7
महाराष्ट्र	21.8	20.6	21.1
गुजरात	39.7	40.1	36.8
राजस्थान	37.9	38.7	37.7
असम	1.8	1.9	2.3
पश्चिम बंगाल	15.0	14.7	14.5
हरियाणा	5.3	5.1	5.5
पंजाब	9.9	10.6	11.2
उत्तर प्रदेश	97.4	97.0	89.4
बिहार	10.6	8.6	12.0
झारखंड	11.4	12.5	13.8
सकल योग	**314.1**	**306.4**	**293.2**
स्रोत: dbfert.nic.in			

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं -

I. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

II. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

III. उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो देश में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काफी पहले से तय किया जाता है।

IV. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

V. राज्यों के लिए पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेकों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

VI. राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, पिछले तीन वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। उक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यूरिया की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 07.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.286* के उत्तर के भाग (क) और (घ) तक के लिए है।

यूरिया

2023-24 से 2025-26 तक राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		2023-24			2024-25			2025-26		
क्रम.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.73	17.89	14.99	15.90	18.68	15.70	15.60	19.22	17.06
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
4	असम	3.46	4.56	3.73	3.28	4.48	4.10	3.35	5.13	4.60
5	बिहार	22.63	27.46	23.24	22.87	27.64	25.60	23.82	28.12	25.33
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ़	8.40	11.37	8.99	8.90	12.03	10.07	10.00	12.41	9.81
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.37	0.32	0.23	0.43	0.40	0.26	0.25	0.21
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
12	गुजरात	24.71	26.78	24.30	25.60	25.82	24.23	25.02	25.95	23.99
13	हरियाणा	20.63	24.86	21.77	21.50	25.32	22.65	21.67	26.08	23.20
14	हिमाचल प्रदेश	0.68	0.82	0.68	0.71	0.81	0.65	0.66	0.94	0.79
15	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.01	1.45	1.48	2.05	1.36	1.46	2.24	1.60
16	झारखंड	2.47	3.74	3.04	2.65	4.11	3.73	2.90	3.73	3.22
17	कर्नाटक	16.10	21.02	15.65	17.25	22.63	19.17	18.77	21.55	18.85
18	केरल	1.19	1.13	0.96	1.11	1.37	1.15	1.14	1.30	1.14
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.46	41.73	34.37	35.38	42.43	38.09	40.42	47.16	42.43
21	महाराष्ट्र	23.74	31.06	23.48	23.73	32.72	26.41	26.77	32.37	27.27
22	मणिपुर	0.30	0.26	0.25	0.25	0.16	0.14	0.20	0.24	0.19
23	मेघालय	0.02	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
24	मिजोरम	0.07	0.15	0.13	0.08	0.25	0.20	0.07	0.11	0.11
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
26	ओडिशा	5.46	7.70	5.84	6.05	8.15	6.67	6.20	8.94	7.26
27	पुदुचेरी	0.16	0.15	0.13	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14
28	पंजाब	29.48	37.35	30.68	26.50	36.70	32.56	29.92	35.36	31.39
29	राजस्थान	24.28	29.23	25.39	26.20	29.43	26.40	25.52	31.94	28.05
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.23	11.86	10.11	10.91	12.61	10.92	10.87	12.80	11.43
32	तेलंगाना	18.94	23.77	19.03	20.20	22.15	20.08	20.20	21.80	20.94
33	त्रिपुरा	0.24	0.26	0.14	0.18	0.24	0.17	0.18	0.24	0.17
34	उत्तराखंड	1.84	2.67	2.31	2.03	2.60	2.31	2.01	2.49	2.21
35	उत्तर प्रदेश	76.15	91.83	74.53	77.00	91.72	79.18	79.92	91.75	80.37
36	पश्चिम बंगाल	14.32	17.34	12.20	13.80	19.05	15.77	14.30	18.43	14.76
	अखिल भारत	**356.08**	**437.47**	**357.81**	**364.01**	**443.83**	**387.92**	**381.45**	**450.79**	**396.60**

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री